आपदा के बाद सहायता

व्यक्तियों और परिवार कार्यक्रम के लिए आवेदक मार्गदर्शिका

FEMA 545 / जुलाई 2008

Applicant's Guide to the Individuals & Households Program – Hindi 7/08

फ़ेडेरल आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (Federal Emergency Management Agency - FEMA) के रॉबर्ट टी. स्टाफ़ोर्ड आपदा राहत और आपातकालीन सहायता अधिनियम, 408 स्टाफ़ोर्ड आपदा राहत और आपातकालीन सहायता अधिनियम (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act), 42 U.S.C. §5174, और कोड फ़ेडेरल के विनियमों (Code of Federal Regulations - CFR) के शीर्षक 44 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सहायता और यदि आवश्यक हो तो बड़ी आपदा के परिणामस्वरूप आवश्यक खर्च और गंभीर ज़रूरतों और दूसरे साधन के माध्यम से इस तरह के खर्चों या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए असमर्थ लोगों को प्रत्यक्ष सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

प्रिय आवेदक:

FEMA के व्यक्तिगत और परिवार कार्यक्रम (Individuals and Households Program - IHP) की आवश्यकताओं, दस्तावेज़ीकरण, और प्रक्रियाओं को स्पष्ट संवादित करने के एक हिस्से के रूप में हमारे चल रहे प्रयासों में, हम आपको इस पुस्तिका में उपलब्ध करा रहे हैं। इस पुस्तिका IHP के बारे में उपयोगी कार्यक्रम की जानकारी शामिल है। आपदा-विशिष्ट सवालों के लिए, यह हमेशा सर्वश्रेष्ठ होगा कि हमारी वेबसाइट www.fema.gov देखे या FEMA हेल्पलाइन को (Helpline) 1-800-621-3362 (FEMA) (बधिरों के लिए TTY 1-800-462-7585) पर संपर्क करे।

कैटरिना आपातकाल प्रबंधन सुधार अधिनियम, 2006 (Post Katrina Emergency Management Reform Act) के प्रतिसाद में, कांग्रेस द्वारा FEMA को प्रत्यायोजित नए प्राधिकारियों को शामिल करने के लिए FEMA नीतियों और कार्यक्रमों को अद्यतन कर रही है। जैसा कि नई नीतियाँ और प्रक्रियाएँ ठीक से अपने स्थान पर दी गई है, यह आवेदक मार्गदर्शिका का नवीनीकृत संस्करण जनता के लिए FEMA की वेबसाइट पर, हमारे आपदा समुत्थान केन्द्रों पर उपलब्ध है, तथा सभी आवेदकों को डाक द्वारा आवेदन करने पर, फ़ोन या ऑनलाइन से उपलब्ध कराई जाएगा।

FEMA के कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए गए हैं जिससे अनिवार्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके और समुत्थान के लिए पहले कदम के रूप में व्यक्तियों और उनके परिवारों को सहायता दी जा सके। FEMA कार्यक्रम इस इरादे के साथ नहीं है की सभी घरों या उनकी संपत्तियों को उनकी आपदा पूर्व की स्थिति में वापस लौटाया जाए।

इस समुत्थान प्रक्रिया में हम आपकी भागीदारी चाहते है जिससे आप और आपका समुदाय विपत्ति के पश्चात पुनः स्थापित हो सके।

आदर सहित,

FEMA *आपदा सहायता निदेशालय*

विषय सारणी

व्यक्ति और परिवार कार्यक्रम का सिंहावलोकन	1
सहायता के प्रकार	1
आपके नागरिक अधिकार और आपदा सहायता	2
आपदा सहायता प्रक्रिया	2
कार्यक्रम की पात्रता	4
पात्र हानियों के प्रकार	5
आपदा सहायता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी	6
यदि आप सहायता के लिए पात्र हों	7
बीमा और विपत्ति सहायता के बारे में जानकारी	8
मैं अपने मामले की फिर से समीक्षा करना चाहता हूँ (अपील)	9
पुनःनिर्माण और मरम्मत - शमन के उपाय	11
अतिरिक्त आपदा सहायता कार्यक्रम जानकारी के बारे में जानकारी	12
अकसर पूछे जाने वाले सवाल और जवाब	15
अपात्र कारणों का वर्णन	21
FEMA नमूना प्रपत्र 90-69B घोषणा और विज्ञप्ति	29
FEMA धोखाधड़ी हॉटलाइन	30

व्यक्ति और परिवार कार्यक्रम (IHP) का अवलोकन

प्रयोजन: आपदाएँ आने पर व्यक्ति और परिवार कार्यक्रम (Individuals and Households Program - IHP) के द्वारा आपदा क्षेत्र में लोगों को धन और सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं यदि हानियाँ बीमा द्वारा कवर नहीं की गई हो और संपत्ति क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी हो।

यह कार्यक्रम मार्गदर्शिका आपको जो सूचनाएँ उपलब्ध कराएगी, उससे आपको IHP को समझने में मदद मिलेगी और यह भी कि आवेदन किस प्रकार करना है। मदद की योग्यता में आने के लिए आपको विशिष्ट पात्रता शर्तों को अवश्य पूरा करना होगा।

IHP इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे आपको नाजुक खर्चों के लिए भी मदद मिलेगी जो अन्य किसी तरह कवर नहीं हो सकते।

मर्यादाएँ: IHP विनाश से हुई आपकी संपत्ति (घर, व्यक्तिगत संपत्ति, घरेलू सामान) की क्षति के कारण हुए समस्त नुकसान को कवर नहीं करता।

IHP का इरादा यह नहीं है कि वह आपकी क्षतिग्रस्त संपत्ति को विनाश के पूर्व की स्थिति में ले आए। कुछ मामलों में, IHP केवल, कार्यक्रम की सीमा तक, पर्याप्त रकम उपलब्ध करा सकता है जो आपके लिए सेवा की एक मद मानकर वापिस करने जैसा है।

IHP विनाश के कारण हुए व्यापार से संबंधित नुकसान को कवर नहीं करता।

कानूनी रूप से, IHP आपके उस नुकसान के लिए रकम उपलब्ध नहीं करा सकता है जो बीमे द्वारा कवर है।

यद्यपि कुछ राशि IHP के द्वारा उपलब्ध होती है, लेकिन अधिकांश आपदा सहायता संघीय सरकार से ऋण के रूप में **लघु व्यापार प्रशासन** (Small Business Administration - SBA) द्वारा प्राप्त होती है, जिसका पुनः भुगतान करना होता है। IHP के आवेदकों के पहले SBA से मदद प्राप्त करनी चाहिए, इसके पूर्व कि वे IHP की मदद के कुछ प्रकारों के लिए विचारार्थ लिए जाए । आपको FEMA किराया सहायता के लिए गणना के लिए एक SBA ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है।

सहायता के प्रकार

निम्नलिखित सूची सहायता के उन प्रकारों को दर्शाती है जो IHP के द्वारा उपलब्ध है और प्रत्येक क्या प्रस्तुत करता है।

अस्थायी आवास (रहने के लिए स्थान जो सीमित अवधि के लिए है): विभिन्न स्थान पर किराए पर रहने के लिए धन उपलब्ध होगा, या किराए पर संपत्ति उपलब्ध न होने पर, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास इकाई उपलब्ध होगी।

मरम्मत: घरों के मालिकों को आपदा से हुई क्षति की मरम्मत के लिए रकम उपलब्ध होगी, यदि वह बीमा के अंतर्गत नहीं कवर नहीं है। उद्देश्य है कि क्षतिग्रस्त मकान को सुरक्षित, स्वच्छ और कारगर बनाया जाए ।

प्रतिस्थापन: मकान-मालिक आपदा से नष्ट हुए घर ऐसे को **बदलने** के लिए करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा जो बीमा के अंतर्गत न हो। इसका लक्ष्य मकान-मालिक को अपने नष्ट घर को बदलने की लागत के साथ मदद करने का है ।

स्थयी /अर्ध स्थायी आवास निर्माण: सीधी सहायता या घर के निर्माण के लिए धन। इस प्रकार की मदद केवल FEMA द्वारा निर्दिष्ट द्वीपीय क्षेत्रों या दूरस्थ स्थानों के लिए होती है, जहाँ कोई अन्य प्रकार की आवास सहायता संभव न हो।

अन्य आवश्यकताएँ: आपदा के कारण आवश्यक खर्च और गंभीर की जरूरत के लिए धन उपलब्ध है। इसमें शामिल है चिकित्सा, दंत चिकित्सा, अंतिम संस्कार, निजी संपत्ति, परिवहन, स्थानांतरण और भंडारण, और कानून द्वारा अधिकृत अन्य व्यय ।

आपके नागरिक अधिकार और आपदा सहायता

रॉबर्ट टी. स्टाफ़ोर्ड आपदा राहत और आपातकालीन सहायता अधिनियम (स्टाफ़ोर्ड अधिनियम) (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act – Stafford Act) एक कानून है जो राष्ट्रपति किसी राज्य को आपदा क्षेत्र घोषितकिए जाने की स्थिति में फ़ेडेरल सहायता अधिकृत करता है। स्टाफ़ोर्ड अधिनियम की धारा 308 व्यक्तियों को सभी आपदा सहायता कार्यक्रमों में उनकी जाति, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु, या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव से सुरक्षित रखती है। स्टाफ़ोर्ड अधिनियम की धारा 309 प्रतिक्रिया और वसूली प्रयास में भाग लेने के लिए सभी निजी राहत संगठनों पर ये गैर-भेदभाव प्रावधान लागू होते है।

इसके अलावा, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 (Civil Rights Act) का शीर्षक VI व्यक्तियों को उनकी जाति, रंग, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर उन कार्यक्रमों में भेदभाव से भी सुरक्षित रखता है जो संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करते है। धारा 504 के पुनर्वास अधिनियम 1973 (Rehabilitation Act) एक फ़ेडेरल कानून है जो संघीय सरकार से प्राप्त धन द्वारा संचालित की सभी कार्यक्रमों में भेदभाव से विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा करता है । उस कानून की धारा 508 फ़ेडेरल द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी प्रणालियों के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव का प्रतिबंध लगाती है।

आपदा सहायता प्रक्रिया

राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपदा क्षेत्रों में लोगों द्वारा इस्तेमाल करने हेतु:

1. ***www.FEMA.gov*** **पर जाकर ऑनलाइन या फोन द्वारा** 1-800-621-3362 (FEMA) आवेदन करे (मूक बधिर केवल 1-800-462-7585 पर कॉल करें) कलम और कागज के अलावा, कृपया निम्नलिखित जानकारी तैयार रखें :

- आपकी सामाजिक सुरक्षा संख्या।
- इस आपदा के कारण हुए अपने नुकसान का वर्णन ।
- बीमा जानकारी।
- आपकी क्षतिग्रस्त संपत्ति हेतु निर्देश।
- टेलीफ़ोन नंबर जिस पर आपसे संपर्क किया जा सके।

जब आप फोन पर आवेदन करते हैं, तो आपके द्वारा प्रदान की गईको जानकारी को कंप्यूटर में डाला जाता है और एक आवेदन उत्पन्न होता है। जब आपका आवेदन पूरा हो जाए, तो आपको FEMA आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी।

यदि सहायता के लिए आवेदन के बाद आपका कोई प्रश्न हो या यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी बदल गई हो तो, FEMA हेल्पलाइन पर 1-800-621-3362 (FEMA) कॉल करें (मूक बधिर केवल-1-800-462-7585 पर कॉल करें)। जब आप कॉल करें, तब आवेदन नंबर तैयार रखे। जब आप आवेदन करते है तब यह नंबर दिया जाता है और यह IHP द्वारा भेजी सभी डाक पर होगा ।

2. **निरीक्षक द्वारा मुझसे कब संपर्क किया जाएगा?** यदि आप बीमित नहीं हैं या उपयुक्त बीमा कवरेज की कमी है, तो निरीक्षक आपकी संपत्ति देखने के लिए एक मुलाकात निश्चित करेगा। कुछ मामलों में, आप जिस दिन आवेदन करते है उसी दिन संपर्क किया जा सकता है। लेकिन, ज्यादातर मामलों में निरीक्षक अगले कई दिनों के भीतर कॉल करता है, लेकिन आम तौर 10 दिन से ज्यादा नहीं ।

यह निरीक्षक आपकी वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति के आपदा-संबंधी नुकसान का मूल्यांकन करेगा। निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं है। निरीक्षक ठेकेदार हैं, FEMA के कर्मचारी नहीं, लेकिन आपके निरीक्षकके पास कास चित्र पहचान पत्र-होगा। आप या आपदा से पूर्व वहाँ रह रहा परिवार का 18 साल की उम्र का कोई व्यक्ति निश्चित मुलाकात के समय उपस्थित होना चाहिए।

निरीक्षक को आपकी पहचान देखनी होगी और आपको निरीक्षक को दिखाने के लिए स्वामित्व (मकान मालिक के लिए) और कब्ज़े के सबूत प्रदान करना भी जरूरी होगा।

निरीक्षक आपको एक फार्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे है जो FEMA को यह सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है कि आपने जो जानकारी दीवह सही है । **निरीक्षक आपकी रिपोर्ट फ़ाइल करेगा परंतु आपकी पात्रता निर्धारित नहीं करेगा ।**

3. **निरीक्षक के दौरे के 10 दिन के भीतर, आपको IHP से पत्र प्राप्त होगा जो मदद के लिए आपके अनुरोध पर फ़ैसले के बारे में बताएगा।**

    - **यदि आप मदद के लिए पात्र नहीं हैं, तो पत्र निर्णय का कारण देगा।** यदि आप मदद के लिए पात्र हैं, तो पत्र के पश्चात अमेरिकी ट्रेज़री / राज्य द्वारा चेक या आपके बैंक खाते में नगद राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। पत्र में समझाया जाएगा कि पैसे का प्रयोगकिसके भुगतान के लिए किया जा सकता है। आपको पत्र में बताए अनुसार पैसे का प्रयोग करना चाहिए।

- **यदि आप मदद के लिए पात्र नहीं हैं, तो पत्र निर्णय का कारण देगा।** पत्र में आपको आपके अपील के अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा।

- **यदि आप SBA आपदा सहायता कार्यक्रम से मदद के लिए** लघु व्यवसाय उपयोग (Small Business Administration - SBA) हेतु संदर्भित थे तो आपको SBA आवेदन प्राप्त होगा।

कार्यक्रम की पात्रता

आपदा के परिणामस्वरूप पैसा प्राप्त करने के लिए या <u>आवास ज़रूरतों</u> के लिए मदद हेतु निम्नांकित सभी सत्य होना चाहिए:

- आपने बीमा लाभ के लिए आवेदन किया है और आपकी संपत्ति आपके बीमा से क्षति हेतु कवर नहीं है। आप IHP से अपनी संपत्ति को नुकसान की मरम्मत के लिए मदद के पात्र हो सकते हैं।

- आप या जो आपके साथ रहता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, एक गैर -नागरिक है, या योग्य परदेसी हो।

- आपका घर उस क्षेत्र में है जिसे राष्ट्रपति ने आपदा क्षेत्र घोषित किया हो।

- आपका घर उस क्षेत्र में है जहाँ आप बहुत साल से आम तौर पर रहते है।

- आप अपने घर में अब नहीं रह पा रहे हैं, आपदा के कारण आपको अपना घर नहीं मिल सकता, या आपदा की क्षति की वजह से मरम्मत की आवश्यकता है।

आपदा के परिणामस्वरूप, <u>आवास के अलावा अन्य आवश्यकताओं</u> लिए धन प्राप्त करने के लिए निम्नांकित सभी के सत्य होना चाहिए:

- आपको उस क्षेत्र में नुकसान हुआ है जिसे राष्ट्रपति ने आपदा क्षेत्र घोषित किया है।

- आपने बीमा लाभ के लिए दायर किया है और आपकी निजी संपत्ति आपके बीमा से क्षति हेतु कवर नहीं है। आप IHP से अपनी संपत्ति को नुकसान की मरम्मत की मदद के पात्र हो सकते हैं।

- आप या जो आपके साथ रहता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, गैर -नागरिक है, या योग्य परदेसी है।

- आपदा के कारण आवश्यक खर्च या गंभीर जरूरत हो।

- आपने सभी अन्य स्रोतों से सहायता स्वीकार की जिसके लिए आप पात्र हैं जैसे कि बीमा आय या SBA ऋण ।

आप धन या IHP से मदद के लिए *पात्र* नहीं हो सकते, यदि:

- आपके पास अन्य, पर्याप्त किराया-मुक्त आवास है जिसे आप (उदाहरण के लिए जिस पर कब्जा नहीं है वैसी किराये की संपत्ति) का उपयोग कर सकते हैं।
- आपका क्षतिग्रस्त घर आपका पूरक या छुट्टी निवास है।
- आपके ख़र्चे केवल एहतियात के रूप में आपके घर छोड़ने से परिणामस्वरूप हैं और आप इस घटना के तुरंत बाद अपने घर को वापसी करने में सफल रहे थे।
- आपने बीमा प्रदाता (ओं) से सहायता लेने से इनकार कर दिया है।
- आपकी हानि केवल व्यापार घाटा है (फार्म हाउस और स्व-रोजगार के अलावा कृषि व्यापार सहित) या आइटम इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है।
- आप जहाँ रहते है वह क्षतिग्रस्त घर उस नामित बाढ़ खतरा क्षेत्र में स्थित है और आपका समुदाय राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहाहै । इस मामले में, आपके घर को बाढ़ क्षति हेतु कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन आप किराये की सहायता या बाढ़ बीमा द्वारा कवर नहीं की गई मदों जैसे पानी कुओं, सेप्टिक प्रणाली, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, या अंतिम संस्कार के खर्च के लिए पात्रता प्राप्त कर सकते हैं।

पात्र हानियों के प्रकार

IHP केवल मरम्मत या वस्तुओं के प्रतिस्थापन को शामिल करता है जो सीधे आपदा के परिणाम के रूप में क्षतिग्रस्त हो गईं और बीमा से कवर नहीं हैं । मरम्मत या पुनर्निर्माण आपके घर को आपदा-पूर्व स्थिति में जब तक सुधार नहीं सकते तब तक कि इस तरह के सुधार वर्तमान इमारत कोड के लिए आवश्यक हो ।

आवास आवश्यकताएँ: अपने घर को सुरक्षित और सेनेटरी बनाने हेतु घर की मरम्मत के लिए पैसा सीमित है ताकि आप वहाँ रह सकें। आपके घर को विनाश के पूर्व की स्थिति में लाने के लिए IHP भुगतान नहीं करेगा। आवास की मरम्मत करने की आवश्यकता के लिए उपलब्ध कराए गए अपने पैसे का प्रयोग आप इसके लिए कर सकते हैं:

- अपने घर की संरचना के भाग (नींव, दीवारों के बाहर भाग, और छत)।
- खिड़कियाँ, दरवाजे, फ़र्श, दीवारें, छतें, और केबीनेटरी।
- सेप्टिक या मल-जल व्यवस्था।
- कुआँ या अन्य पानी की व्यवस्था।
- ताप, वायु निर्गमन, और वातानुकूलन प्रणाली।
- उपयोगिताएँ (बिजली, प्लंबिंग, और गैस प्रणालियाँ)।

- निजी स्वामित्व की पहुँच सड़कों सहित आपके घर से प्रवेश और निकास मार्ग ।
- ब्लाकिंग, लेवलिंग और मोबाइल घर का लंगर डालना और सीवर, पानी, बिजली और ईंधन लाइनें, और टैंकों को पुनः जोड़ना या पुनः स्थापित करना।

आवास आवश्यकता के अलावा: क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत संपत्ति की मरम्मत के लिए पैसा या आपदा-संबंधित आवश्यक खर्च और गंभीर ज़रूरतें आपदा से उबरने संबंधी कठिनाई, चोट या प्रतिकूल स्थिति में मदद करने तक ही सीमित है। आपके घर को विनाश के पूर्व की स्थिति में लाने या प्रतिस्थापित करने के लिए IHP भुगतान नहीं करेगा। आप आवास की मरम्मत के अलावा उपलब्ध कराए गए अपने पैसे का प्रयोगइसके लिए कर सकते हैं:

- आपदा-संबंधी चिकित्सा और दंत खर्च।
- आपदा-संबंधित शवदाह और दफन खर्च।
- वस्त्र; घर की मदें (कमरा असबाब, उपकरण); आपके काम के लिए आवश्यक उपकरण (विशेष या सुरक्षात्मक कपड़ों और उपकरण); आवश्यक शिक्षण सामग्री (कम्प्यूटर, स्कूल की किताबें, और आपूर्तियाँ)।
- प्राथमिक ऊष्मा स्रोत के लिए ईंधन (हीटिंग का तेल, गैस, जलाऊ लकड़ी)।
- आपदा-निर्दिष्ट-स्वच्छता मदें (गीली/शुष्क वैक्यूम, हवा शुद्धक, और नमी दूर करने के उपकरण)।
- आपदा से क्षतिग्रस्त वाहन।
- आपदा से संबंधित चलित और भंडारण खर्च (आपदा-संबंधी घर के लिए मरम्मत के दौरान अतिरिक्त आपदा क्षति से बचने के लिए संपत्ति हटाना या स्थानांतरण करना)।
- FEMA द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक खर्च या गंभीर ज़रूरतें।

आपदा सहायता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

IHP से प्राप्त आवास और आवास आवश्यकता के अलावा अन्य के लिए प्राप्त पैसा केवल FEMA द्वारा अनुमोदित योग्य खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाने चाहिए:

- **अगर आप पैसे का FEMA द्वारा समझाएगए के अनुसार प्रयोग नहीं करते है तो आप किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र नहीं हो सकते है, और पैसे वापस करने हो सकते हैं।**
- आम तौर पर राष्ट्रपति द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित करने की तारीख से 18 महीने तक ही सीमित हैं।
- पुनः अदायगी करना जरूरी नहीं है।

- कर मुक्त है।
- संघीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित कल्याण, आमदनी सहायता या आमदनी-परीक्षित लाभ कार्यक्रमों हेतु आय या संसाधन के रूप पात्रता निर्धारित करने में नहीं गिना है।
- गार्निशमेंट (वसूली देना), जब्ती, भार, लेवी, निष्पादन, गिरवी, कुर्की, जारी, या छूट से मुक्त है।
- पुनः निरूपण या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं हो सकते।
- ***अपनी आपदा-संबंधी जरूरत को पूरा करने में पैसा कैसे प्रयोग किया ,गया उसे प्रदर्शित करने के लिए आपको 3 साल के लिए रसीदें या बिल रखने होंगे।***

आप किसी भी मरम्मत को शुरू करें इससे पहले, स्थानीय परमिट या निरीक्षण की आवश्यकता का पता लगाने के लिए अपने स्थानीय निर्माण विभाग के साथ जांच कर ले।

यदि आप सहायता के लिए पात्र हों

यदि आपका आवेदन IHP के तहत मदद के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करता है और पैसे को मंजूरी दे दी गई हो तो आपको प्राप्त पैसे या मदद निम्नानुसार ही इस्तेमाल करना होगा। इस कार्यक्रम के पैसे परिवार या दोस्तों के साथ रहने के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग **नहीं** किए जा सकते है। श्रेणियों की व्याख्या निम्नानुसार है।

दंत चिकित्सा: आपदा के दौरान दंत चोटों की वजह से दंत चिकित्सा उपचार खर्च पूरा करने के लिए प्राप्त पैसा।

अंतिम संस्कार: आपदा के कारण मृत्यु संबंधित अंतिम संस्कार सेवाओं, दफन या दाह संस्कार खर्च पूरा करने के लिए प्राप्त पैसा।

घर मरम्मत: घर को सुरक्षित, सेनेटरी और / या कार्यात्मक बनाने के लिए श्रम और सामग्रियों का खर्च पूरा करने के लिए मकान-मालिक को उपलब्ध कराया गया पैसा।

आवास सहायता: आपदा-संबंधित आवास ज़रूरतों के खर्च के लिए सहायता।

चिकित्सा: आपदा के परिणामस्वरूप शारीरिक चोटों की वजह से चिकित्सा उपचार या चिकित्सा उपकरणों की खरीद की लागत से निपटने के लिए खर्च पूरा करने हेतु प्राप्त पैसा।

स्थानांतरण और भंडारण: आपदा से निजी क्षतिग्रस्त संपत्ति को अतिरिक्त आपदा-संबंधी क्षति से बचने के लिए चलित और भंडारण की लागत से निपटने के लिए पैसा।

अन्य: आपदा के लिए अन्य विशिष्ट आपदा-संबंधित ज़रूरतें पूरा करने के लिए प्राप्त पैसा।

स्थायी / अर्ध स्थायी आवास: किराए पर लेने की संसाधनों की कमी के कारण, घर की मरम्मत अनुपयुक्तता और प्रतिस्थापन आवास सहायता और आपके क्षेत्र में उपलब्ध इमारत ठेकेदारों की कमी के कारण, FEMA आपके घर को फिर से बनाएगी।

व्यक्तिगत संपत्ति: आपदा-क्षतिग्रस्त मदें जैसे फ़र्नीचर, बिस्तर, उपकरण और कपड़ों की मरम्मत / या बदलने के लिए खर्च पूरा करने हेतु प्राप्त पैसा।

किराया सहायता: दूसरी जगह पर किराये पर रहने के लिए पैसा । अगर जरूरत हुई तो मकान-मालिक को ये पैसे गृह मरम्मत के अलावा उपलब्ध कराए जा सकते है।

प्रतिस्थापन आवास: क्योंकि यह, सेनेटरी, और /या कार्यात्मक सुरक्षित नहीं होने से कानून की सीमा में आपके घर को बदलने में मदद करने के लिए अनुमति प्राप्त पैसा।

अस्थायी आवास: आपदा से संबंधित अस्थायी ठहरने (होटल या मोटल) के खर्च की लागत से निपटने के लिए पैसा।

परिवहन: आपदा की वजह से अब प्रयोग करने योग्य न रहे वाहन की मरम्मत / या बदलने के लिए खर्च पूरा करने हेतु प्राप्त पैसा।

बीमा और विपत्ति सहायता के बारे में जानकारी

यदि आपने पहले से ही दावा करने के लिए संपर्क नहीं किया हो, तो कृपया जितनी जल्दी हो सके अपने बीमा एजेंट से संपर्क करे। आपकी बीमा कंपनी के साथ दावा करने में असफलता आपकी IHP से सहायता की योग्यता को प्रभावित कर सकती हैं। अपने दावे को करने के बाद, निम्नलिखित में से यदि कोई परिस्थिति है, तो अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया आपदा हेल्पलाइन 1- 800-621-3362 (FEMA) FEMA पर कॉल करें।

- **आपका बीमा निपटान विलंबित है ।** यदि आपका बीमा निपटान निर्णय **आपका दावा करने समय से** 30 दिन से ज्यादा विलंब कर दिया है तो आपको FEMA को हालात समझाते हुए पत्र लिखने की आवश्यकता होगी। आपने दावा दायर किया हो, तो उसे साबित करने के लिए बीमा कंपनी का प्रलेखन शामिल होना चाहिए। यदि आप टेलीफोन पर अपना दावा दायर करते है तो, आपको दावा नंबर, आवेदन करने की तिथि, निपटान प्राप्त करने के लिए अनुमानित समय शामिल करना चाहिए। FEMA द्वारा अधिनिर्णित किसी भी मदद को अग्रिम राशि के रूप में लिया जाएगा और बीमा निपटान प्राप्त होने पर FEMA को वापस किया जाना चाहिए।

- **आपका बीमा निपटान आपकी आपदा-संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।** यदि आप अपने बीमा से अधिकतम निपटान प्राप्त हो गया है और फिर भी आप आपदा-संबंधी ज़रूरतों पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपको FEMA को पत्र में आपदा-संबंधी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहे के संकेत लिखने की आवश्यकता होगी। आपकी बीमा कंपनी से समीक्षा के लिए आपको दस्तावेज़ भी भेजने की आवश्यकता होगी।

- **आपकी बीमा कंपनी द्वारा प्रदान अतिरिक्त जीवन-यापन खर्च (Additional Living Expenses - ALE) आपने समाप्त कर दिया है।** यदि आप अपने बीमा से अधिकतम अतिरिक्त **जीवन-यापन** खर्च (उपयोग की घाटा) (Additional Living Expenses – Loss of Use) निपटान प्राप्त हो गया है और फिर भी आप आपदा-संबंधी अस्थायी आवास ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपके FEMA को एक पत्र में आपदा-संबंधी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहे है तो क्यों अस्थायी आवास की जरूरत जारी रखी जाए उसके संकेत लिखने की आवश्यकता होगी। ALE समीक्षा के लिए आपको अपनी बीमा कंपनी से प्रलेखन भी भेजने की आवश्यकता होगी।

- **आप अपने क्षेत्र में किराए पर लेने के संसाधनों का पता लगाने में असमर्थ हैं।** इस FEMA हेल्पलाइन के पास आपदा क्षेत्र में किराए पर लेने की संसाधनों की सूची है। यदि आपकी काउंटी में कोई संसाधन उपलब्ध न हो, तो इस हेल्पलाइन एजेंट पास की काउंटी में संसाधन प्रदान कर सकते हैं।

आपके पास बीमा जानकारी समीक्षा के लिए भेजने के लिए FEMA से पंजीकृत करने की तारीख से बारह (12) महीने है। कानूनी रूप से, IHP व्यक्तियों या परिवारों को बीमे द्वारा कवर हानियों के लिए धन उपलब्ध नहीं करा सकता है।

मैं अपने मामले की फिर से समीक्षा करवाना चाहता/चाहती हूँ (अपील)

आप किसी भी निर्णय पर अपील कर सकते हैं। अपील आपकी पात्रता, राशि या आपको प्रदान मदद के प्रकार, देर से आवेदन, पैसे वापस करने के लिए अनुरोध, या मदद जारी रखने के बारे में सवालों से संबंधित हो सकती है। जब आप किसी निर्णय की अपील करते है, तो आप IHP को अपने मामले की फिर से समीक्षा करने के लिए कहते हैं। इससे पहले कि आप किसी निर्णय पर अपील करे, कृपया मदद के लिए अपनी पात्रता जानने के बारे इस गाइड में विशेष जानकारी या सहायता आपकी पात्रता हेतु भेजे पत्र को देखे। यह गाइड इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर आपके अधिकांश प्रश्नों के बारे में जवाब देगी।

यदि, आप इस गाइड की समीक्षा के बादभी , आप अपने आवेदन या प्राप्त मदद के बारे में सहमत नहीं है, **निर्णय पर अपील करने के लिए नीचे दिए गए इन चरणों का पालन करें:**

अपील दाखिल करने के चरण:

1. लिखित में समझाए कि राशि या आपको प्राप्त सहायता के प्रकार के बारे में निर्णय आपको क्यों सही नहीं लगते ।

    - **जब आप पत्र भेजे,** तो कृपया अपना पूरा नाम, तारीख और जन्म की जगह, और पता शामिल **करें।** इसके अलावा, आपका पत्र या तो नोटोराइज्ड होना चाहिए,

जिसमें राज्य द्वारा जारी पहचान कार्ड की प्रति या निम्नलिखित बयान शामिल हो "मैं झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत घोषणा करता हूँ कि आगामी सत्य है और सही हैं।" आपको इस पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

- **आप या सह आवेदक के अलावा अगर कोई अन्य पत्र लिख रहा है** तो बयान में अवश्य शामिल हो कि वह व्यक्ति आपके लिए कार्य कर सकता है।

2. अपने अपील के पत्र में FEMA आवेदन संख्या और आपदा संख्या शामिल करें (जो आपके फ़ैसले पत्र के ऊपर में दर्शाया गया है)।

3. अपना अपील पत्र डाक सेयहाँ भेजे:

   FEMA
   National Processing Service Center
   P.O. Box 10055
   Hyattsville, MD 20782-7055

4. अपना अपील पत्र आप फ़ैक्स से भी यहाँ भेज सकते है:

   (800) 827-8112
   Attention: FEMA

महत्वपूर्ण: IHP द्वारा विचार करने के लिए, आपका अपील पत्र व्यक्तियों या परिवारों के निर्णय पत्र की तारीख से 60 दिनों के भीतर पोस्टमार्क्ड होना चाहिए। अपने पत्र पर तारीखलिखना याद रखें।

अपनी फ़ाइल का निवेदन:

यदि आपको अपने आवेदन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप या सह आवेदक फ़ाइल में जानकारी की प्रति के लिए लिखित अनुरोधयहाँ कर सकते:

FEMA – Records Management
National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-7055

अपनी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के रक्षण हेतु, जब भी आप अपील या FEMA को पत्र से अनुरोध करते है तो आप अपना पूरा नाम, तारीख और जन्म स्थल, क्षतिग्रस्त आवासीय पता, FEMA आवेदन संख्या, और आपदा संख्या शामिल करें। इसके अलावा, आपका पत्र या तो नोटोराइज्ड होना चाहिए, जिसमे राज्य द्वारा जारी पहचान कार्ड की प्रति या निम्नलिखित बयान शामिल हो "मैं झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत है घोषणा करता हूँ कि आगामी सत्य है और सही है।" आपको इस पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

आप या सह आवेदक के अलावा अगर कोई अन्य फ़ाइल की प्रतिलिपि का अनुरोध कर रहा है तो निवेदन में आपके द्वारा बयान अवश्य शामिल हो कि आप उस व्यक्ति को अपने लिए कार्य कर सकने के लिए अधिकृत करते है।

पुनः निर्माण और मरम्मत - शमन के उपाय

शमन के उपाय भविष्य की घटनाओं में नुकसान के जोखिम को कम करने हेतु सुधार कर रहे हैं। बड़ी आपदा के बाद,आप क्षतिग्रस्त संपत्ति को फिर से बनाने या मरम्मत के रूप में कई निर्णय करेंगे। अगर एक और आपदा आए तो इन निर्णयों से आप अपनी संपत्ति को कुछ नुकसान से रक्षा करने में मदद कर सकते है । उदाहरण के लिए, यदि उपकरण या प्रमुख उपयोगिताएँ जमीन से ऊँची रखें, तो बाढ़ से क्षति की संभावना कम हो सकती है।

आपके स्थानीय आपदा समुत्थान केन्द्र पर FEMA न्यूनीकरण सलाहकार आपको भविष्य के घाटे को कम करने के बारे में अधिक जानकारी दे सकता हैं । नीचे के कुछ उदाहरण सूचीबद्ध शमन उपाय हैं।

- बिजली के पैनल को ऊपर उठाना या खिसकाना।
- कपड़े धुलाई की मशीन या ड्रायर को ऊपर उठाना या खिसकाना।
- ईंधन भंडारण टैंक में लंगर।
- मोबाइल घर को स्तर दे और लंगर करे।
- वॉटर हीटर को ऊँचा करें, खिसकाएँ, या पट्टा लगाए।
- हीटिंग इकाई को खिसकाएँ

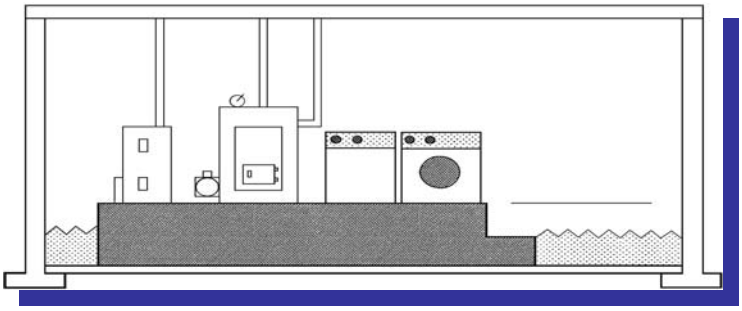

गरम पानीके हीटर, भट्ठी, वॉशर और ड्रायर की ऊंचाई ।

न्यूनीकरण परियोजनाओं के बारे में जानकारी के लिए जैसे इस पृष्ठ पर दिखाए अनुसार, स्थानीय आपात प्रबंधन योजना अधिकारी, राज्य आपदा न्यूनीकरण अधिकारी या आपदा समुत्थान केंद्र पर FEMA स्टाफ को कॉल करे या पधारें। न्यूनीकरण जानकारी यहाँ उपलब्ध है: www.fema.gov.

न्यूनीकरण परियोजनाओं के बारे में प्रकाशनों को आदेश करने के लिए, FEMA प्रकाशन 1-800-480-2520 पर फोन करे।

अतिरिक्त आपदा सहायता कार्यक्रम जानकारी के बारे में जानकारी

इस खंड में राष्ट्रपति द्वारा घोषित बड़ी आपदा के दौरान आपदा मदद के प्रकार की सामान्य लिस्टिंग शामिल हैं । बड़ी आपदा के दौरान यदि आपको लगता है आपको आपदा -संबंधी जरूरत है तो उसे इस खंड में सूचीबद्ध किसी एजेंसी या सेवा को संबोधित किया जा सकता है, तो आपको FEMA आपदा हेल्पलाइन से 1-800-621-3362 (FEMA) (केवल मूक/बधिर कॉल करें 1-800-462-7585) पर रेफ़रल जानकारी के लिए संपर्क करना चाहिए।

वृद्धत सेवाएँ: बुज़ुर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध सेवाएँ जो घोषित आपदा से सीधे प्रभावित हैं (यानी, परिवहन, भोजन, घर पर देखभाल, आदि)।

कृषि सहायता: USDA ग्रामीण विकास (USDA Rural Development) किसानों और रैंचर्स (मालिक या किरायेदारों) जो आपदा के समय खेत या खेत प्रबंधन का संचालन करते थे को आपात ऋण दे सकते हैं। ये ऋण आवश्यक सम्पत्ति और / या उत्पादन क्षमता के वास्तविक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हैं। किसान और चरवाहे भी आपात संरक्षण कार्यक्रमों जैसे फसल / चरागाह भूमि से मलबा हटाने, भूमि / जल संरक्षण संरचनाओं और स्थायी बाढ़ की मरम्मत करने के लिए लागत साझा अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के USDA फार्म सेवा एजेंसी (USDA Farm Service Agency - FSA) से उपलब्ध है।

वित्तीय संस्थाओं से सहायता: बैंक जो फ़ेडेरल डिपाजिट बीमा निगम (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC), फ़ेडेरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System- FRS), या संघीय गृह ऋण बैंक बोर्ड (Federal Home Loan Bank Board - FHLBB) के सदस्य हैं जो दंड के बिना मियादी जमा को जल्द वापसी की अनुमति दे सकती है। यह देखने के लिए अपने वित्तीय संस्थान से संपर्क करें कि क्या उन्होंने किसी नियामक एजेंसी से छूट प्राप्त की है।

व्यापार ऋण कार्यक्रम: व्यापारों के लिए नष्ट या क्षतिग्रस्त व्यापार सुविधाओं, सूची, मशीनरी, या उपकरण की मरम्मत करने या बदलने के लिए आपदा ऋण लघु व्यवसाय प्रशासन (Small Business Administration - SBA) के माध्यम से उपलब्ध हैं। अधिकतम ऋण राशि $1,500,000 है। यदि आपको इस कार्यक्रम में संदर्भित किया गया है तो आपको डाक में आवेदन पैकेज प्राप्त हो जाएगा। अधिक जानकारी या इस प्रपत्र को पूरा करने में मदद के लिए अपना SBA आवेदन पैकेज या SBA की वेबसाइट www.sba.gov को देखें।

उपभोक्ता सेवाएँ: उपभोक्ता समस्याओं जैसे उत्पादों की अनुपलब्धता और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सेवाओं, मूल्य गैजिंग, जर्जरित व्यापारिक बातें और प्रथाओं आदि पर परामर्श उपलब्धता है।

संकट परामर्श: आपदा के कारण या उससे भड़की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए रेफ़रल सेवाएँ और अल्पकालिक हस्तक्षेप उपलब्ध है।

आपदा बेरोजगारी सहायता: यह सहायता आपदा के कारण कार्य से बाहर रहने के साप्ताहिक लाभ प्रदान करती है जिसमें उन आत्म-रोजगार व्यक्तियों, कृषि और खेत मालिकों और अन्यको शामिल किया जाता हैजो नियमित बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम के तहत कवर नहीं हैं।

आपातकालीन सहायता: आपदा के परिणामस्वरूप व्यक्तियों और परिवारों को जरूरी आपातकाल भोजन, कपड़े, आश्रय, और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है। अमेरिकी रेड क्रॉस (American Red Cross - ARC), साल्वेशन आर्मी (Salvation Army), चर्च समूह, और अन्य स्वैच्छिक संगठन सहायता प्रदान कर सकते हैं।

वित्तीय परामर्श: आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय और आर्थिक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है । **आशा गठबंधन अमेरिका (Hope Coalition America)** मुक्त वित्तीय परामर्श प्रदान करता है और" आपातकालीन वित्तीय प्राथमिक उपचार की सामग्री " (Emergency Financial First Aid Kit) और" निजी आपदा तैयारी गाइड " (Personal Disaster Preparedness Guide) जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराता हैं । ये दस्तावेज उनकी वेबसाइट www.operationhope.org से मुफ़्त डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते है: 1-888-388-4673 (HOPE)।

आपदा शमन: आप या तो उन्नयन या अपने घर में इन उपयोगिताओं का स्थान परिवर्तन के द्वारा (यानी, भट्ठी, वॉटर हीटर, और विद्युत सेवा) अपनी प्रमुख उपयोगिताओं के लिए भविष्य के नुकसान को रोकने के लिए फंड प्राप्त कर सकते हैं।

घर और निजी संपत्ति ऋण कार्यक्रम: लघु व्यवसाय प्रशासन (Small Business Administration - SBA) के माध्यम से मकान-मालिक और किराएदारों को आपदा से क्षतिग्रस्त निजी संपत्ति को बहाल करने के लिए आपदा ऋण उपलब्ध हैं। ऋण का अधिकतम अचल संपत्ति भाग $200,000 और निजी संपत्ति के लिए $40,000 है। ऋण की राशि अबीमित SBA सत्यापित नुकसान की राशि तक सीमित है। यदि आपको इस कार्यक्रम में संदर्भित किया गया है तो अधिक जानकारी आपदा सहायता आवेदन पत्र के पीछे के" आवेदन सारांश "में मिल जाएगी।

बीमा जानकारी: बीमा समस्याओं और सवालों पर सहायता और /या परामर्श उपलब्ध है, जिसमें खोई पालिसियाँ, दावे दाखिल करना, बस्तियों को तेजी से बसाना आदि शामिल हो सकते हैं । आपकी बीमा कंपनी आपकी समस्या हल करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप अपने राज्य बीमा आयुक्त संपर्क से कर सकते हैं । बाढ़ बीमा जानकारी के लिए, राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम (National Flood Insurance Program - NFIP) से संपर्क करें।

कानूनी सेवाएँ: कम-आय आपदा पीड़ितों को कानूनी सलाह, परामर्श सहित, निःशुल्क या कम लागत कानूनी सेवाएँ और प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है ।

सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा विकलांगता और उत्तरजीवी लाभ के लिए आवेदन में सहायता हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (Social Security Administration - SSA) से आपदा के द्वारा चेक की डिलिवरी तेज करने में और सहायता उपलब्ध है।

संघीय कर सहायता: संघीय कर कानून आंतरिक राजस्व सेवा (Internal Revenue Service - IRS) को राष्ट्रपति द्वारा घोषित घोषणा की आपदा के शिकार करदाताओं को राहत प्रदान करने की अनुमति देते हैं । इस राहत में फ़ाइल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु समय सीमा आगे बढ़ाने और भुगतान करने से पहले किसी भी दंड, अतिरिक्त राशि, या कर में जोड़, या जिसके लिए आप समय का कर फ़ाइल करने के लिए एक्सटेंशन प्राप्त अवधि के लिए उपशमन और क्योंकि आप राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपदा क्षेत्र में स्थित थे इसलिए रिटर्न और करों का भुगतान शामिल हैं ।

सामान्यतः, सकल आय में योग्यता प्राप्त आपदा राहत भुगतान सूचित करने की आवश्यकता नहीं हैं। योग्य आपदा राहत भुगतान में राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपदा के परिणाम के रूप में, आवश्यक व्यक्तिगत, परिवार, जीवन-यापन, या अंतिम संस्कार के खर्च का भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत से प्राप्त भुगतान शामिल हैं। अगर वे बीमा से कवर नहीं रहे हैं तो IRS घर पर, व्यक्तिगत संपत्ति और घरेलू सामान पर हताहत हानियों की आयकर विवरणी पर कटौती की अनुमति हो सकती है। करदाता जल्दी कर वापसी प्राप्त करने के लिए संशोधित रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के प्रपत्र और प्रकाशन IRS वेब पर यहाँ http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=108362,00.html. मिल सकते है।

अन्य टैक्स सहायता: काउंटी कर निर्धारक संभव संपत्ति कर राहत के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान कर सकते हैं।

वयोवृद्धों के लाभ: वयोवृद्ध प्रशासन (Veterans Administration - VA) लाभों, पेंशन, बीमा बस्तियों, और VA बंधक ऋण के बारे में जानकारी वितरण में तेजी ला सकते हैं।

अकसर पूछे जाने वाले सवाल और जवाब

1. आपदा-संबंधी निर्णय: संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (Federal Emergency Management Agency - FEMA)

FEMA क्या है? FEMA संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी है, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाएँ प्रदान करने और उनका संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। FEMA संघीय सरकार के अन्य घटकों और राजकीय और स्थानीय सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ साझेदार के रूप में कार्य करती है।

किसी भी आपदा में किस प्रकार के आपदा सहायता कार्यक्रम उपलब्ध हैं? दो प्राथमिक संघीय कार्यक्रम हैं जो आपदा सहायता प्रदान करते हैं:

- FEMA का **वैयक्तिक और पारिवारिक कार्यक्रम** किसी बड़ी आपदा से प्रभावित लोगों को धन और सीधी सेवाएँ प्रदान करता है। इस कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य होने के लिए शर्तें पूरी की जानी चाहिए।

- **U.S. लघु व्यवसाय प्रबंधन** (Small Business Administration) ऐसे घर के मालिकों, आसामियों, व्यवसायों और निजी लाभ-निरपेक्ष संगठनों के स्वामित्वाधीन संपत्तियों को होने वाली क्षति के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है जो बीमा द्वारा पूर्णत: सुरक्षित न हों।

क्या आपदा सहायता को चुकाना आवश्यक है? FEMA के **वैयक्तिक और पारिवारिक कार्यक्रम** से प्राप्त धनराशि को चुकाना आवश्यक नहीं है। **लघु व्यवसाय प्रबंधन** से प्राप्त ऋण को चुकाना आवश्यक है।

क्या मैं अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी के लिए सहायता हेतु आवेदन कर सकता/सकती हूँ? हाँ। आपको स्वामित्व का प्रमाण और बीमा-संबंधी जानकारी प्रदान करनी होगी।

क्या मैं आपदा के कारण नष्ट हुई भोजन सामग्री के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ? नहीं। IHP में भोजन सामग्री की क्षति शामिल नहीं है। आपदा क्षेत्र में मौजूद स्वयंसेवी संगठन भोजन सामग्री-संबंधी आवश्यकताओं में आपकी सहायता कर सकते हैं।

क्या किसी कार्यक्रम में स्थानांतरण और भंडारण खर्च के लिए भुगतान किया जाएगा? सीधे तौर पर स्थानांतरण और भंडारण खर्च आपदा से संबंधित होने पर, IHP द्वारा उनकी भरपाई की जा सकती है। यह देखने के लिए IHP में रसीदें जमा करें कि वे शामिल हैं या नहीं।

मेरे द्वारा FEMA में सहायता के लिए आवेदन देने पर क्या होगा? FEMA में आपके द्वारा आवेदन देने के लगभग दस दिनों के भीतर, यदि आपका बीमा नहीं हुआ है या आपके पास पर्याप्त बीमा सुरक्षा नहीं है, तो आपदा के कारण आपकी संपत्ति को हुई क्षति का मुआयना करने हेतु समय निर्धारित करने के लिए एक अर्हता प्राप्त निरीक्षक आपसे संपर्क करेगा। आपकी क्षति रिकार्ड की जाएगी और IHP को जमा की जाएगी। लगभग और दस दिनों के भीतर, आपको इस बारे में IHP का निर्णय प्राप्त होगा कि आप IHP की ओर से सहायता के लिए योग्य हैं या नहीं। यदि आपको U.S. लघु व्यवसाय प्रबंधन (Small Business Administration - SBA) से आपदा ऋण के लिए निर्दिष्ट किया गया है, तो SBA आपसे संपर्क करेगी और आपके आपदा-संबंधी नुक़सानों की समीक्षा करने के लिए मुलाकात निर्धारित करेगी।

FEMA/राजकीय आपदा सहायता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? यदि आप सहायता के लिए योग्य हैं, तो आपको निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के बाद लगभग दस दिनों के भीतर U.S. ट्रेज़री/राजकीय चेक या आपके बैंक खाते में राशि जमा किए जाने की सूचना प्राप्त होनी चाहिए। बाद में, विशिष्ट योग्यता और आवश्यकता के आधार पर, अन्य प्रकार की सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

यदि अपने आवेदन के बारे में मेरे कोई प्रश्न हों या मुझे अपने द्वारा प्रदान की गई जानकारी में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? 1-800-621-3362 (FEMA) (केवल बधिर/मूक व्यक्तियों के लिए: 1-800-462-7585) पर FEMA की आपदा हेल्पलाइन पर कॉल करें या www.fema.gov पर हमारी वेबसाइट देखें।

FEMA निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के बाद 12 से अधिक दिन बीतने और FEMA की ओर से कोई सूचना प्राप्त न होने पर, मुझे क्या करना चाहिए? अपने आवेदन की स्थिति जाँचने के लिए 1-800-621-3362 (FEMA) (केवल बधिर/मूक व्यक्तियों के लिए: 1-800-462-7585) पर FEMA की आपदा हेल्पलाइन पर कॉल करें या www.fema.gov पर हमारी वेबसाइट देखें। यदि आपके क्षेत्र में कोई आपदा बहाली केंद्र (Disaster Recovery Center - DRC) है, तो अपने आवेदन के बारे में आप वहाँ भी पूछताछ कर सकते हैं।

निरीक्षण के परिणामों या FEMA से प्राप्त धनराशि से सहमत न होने पर, मुझे क्या करना चाहिए? आप निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते/सकती हैं। इस निर्देशिका (पृष्ठ 9) में अपील की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान की गई है, या अपील की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए आप 1-800-621-3362 (FEMA) (केवल बधिर/मूक व्यक्तियों के लिए: 1-800-462-7585) पर FEMA की आपदा हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते/सकती हैं।

सहायता हेतु अपने आवेदन के समर्थन में मैं किस प्रकार के स्वामित्व-संबंधी दस्तावेज़ प्रदान कर सकता/सकती हूँ? नीचे कुछ दस्तावेज़ प्रकार दिए गए हैं जो स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- विलेख या आधिकारिक रिकार्ड संपत्ति के वैधानिक स्वामी के रूप में आपको सूचीबद्ध करने वाला मूल विलेख या विश्वसनीयता विलेख।
- स्वत्वाधिकार संख्या जो वास्तविक निलंब लेख या घर की खरीद के स्वामित्व दस्तावेज़ पर आपको सूचीबद्ध करती है।

- क्षतिग्रस्त घर के पते के साथ आपका नाम सूचीबद्ध होने पर गिरवी भुगतान बही या अन्य गिरवी दस्तावेज़ (यानी लंबित भुगतान सूचना, प्रतिबंध सूचना) का उपयोग किया जा सकता है।

- बीमाकृत के रूप में आपके नाम सहित क्षतिग्रस्त घर के लिए अचल संपत्ति बीमा होना चाहिए।

- क्षतिग्रस्त घर को दर्शाने वाली और मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी पक्ष के रूप में आपको सूचीबद्ध करने वाली कर रसीदें या संपत्ति कर बिल।

सहायता हेतु अपने आवेदन के समर्थन में मैं किस प्रकार के कब्ज़ा-संबंधी दस्तावेज़ प्रदान कर सकता/सकती हूँ? नीचे कुछ दस्तावेज़ प्रकार दिए गए हैं जो अध्यवसाय प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- क्षतिग्रस्त घर के लिए आपके नाम (या सह-आवेदक के नाम) सहित किसी उपयोगी सेवा का बिल। उपयोगी सेवा का बिल किसी मुख्य उपयोगी सेवा, जैसे बिजली, गैस, या पानी, के लिए होना चाहिए।

- आपके नाम (या सह-आवेदक के नाम) सहित क्षतिग्रस्त घर पर भेजा गया कोई व्यावसायिक विवरण। व्यावसायिक विवरणों में निम्नलिखित शामिल हैं: आपको भेजे गए और क्षतिग्रस्त घर का पता दर्शाने वाले क्रेडिट कार्ड बिल, डिलिवरी सूचनाएँ, या प्रथम श्रेणी की अन्य डाक।

- आपके नाम (या सह-आवेदक के नाम) सहित क्षतिग्रस्त घर पर भेजा गया कोई नियोक्ता विवरण। नियोक्ता विवरण आपको भेजे गए और क्षतिग्रस्त घर का पता दर्शाने वाले भुगतान-संबंधी रसीदों और समान दस्तावेज़ों का हवाला देता है।

- क्षतिग्रस्त घर का पता दर्शाने वाला वर्तमान चालक और गैर-चालक लाइसेंस।

मुझे बाढ़-संबंधी बीमे के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? किसी स्थानीय, लाइसेंसशुदा आपातकालीन या संपत्ति बीमा एजेंट को कॉल करें या 1-800-427-4661 पर राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम को कॉल करें।

क्या मुझे निरीक्षण से पहले अपने घर की सफाई आरंभ करनी चाहिए? निरीक्षण से पहले आप सफाई कर सकते/सकती हैं। यदि संभव हो, तो सफाई करने से पहले क्षति के चित्र खींच लें।

क्या मुझे अपनी रसीदें रखनी होंगी? हाँ, आपको अपने सभी खर्चों की रसीदें रखनी होंगी।

2. आपदा ऋण: U.S. लघु व्यवसाय प्रबंधन (Small Business Administration - SBA):

FEMA में आवेदन देने के बाद मुझे SBA से आपदा-संबंधी ऋण के लिए आवेदन की प्राप्ति क्यों हुई? आपदा पीड़ितों के लिए दीर्घकालीन बहाली सहायता हेतु SBA संघीय निधि का प्राथमिक

स्रोत है। घर के मालिकों, आसामियों, और सभी प्रकार के गैर-कृषि व्यवसायों के स्वामित्वाधीन निजी संपत्ति, जो पूर्णत: बीमा द्वारा सुरक्षित न हो, को आपदा से हुई क्षति के लिए मूलभूत रूप से संघीय सहायता SBA से कम ब्याज पर ऋण है। ऋण को किफ़ायती बनाकर, SBA का आपदा ऋण कार्यक्रम करदाताओं के लिए खर्च को किफ़ायती रखते हुए मरम्मत के लिए भुगतान करने में आपदा पीड़ितों की सहायता करता है।

SBA से आपदा ऋण के लिए आवेदन भरने हेतु मैं सहायता किस प्रकार प्राप्त कर सकता/सकती हूँ? SBA के स्थानीय आपदा कार्यालयों में आपदा पीड़ितों को आमने-सामने सेवा प्रदान करने के लिए SBA के ऋण अधिकारी मौजूद हैं। आप इनमें से किसी भी स्थान पर, और किसी एपॉइंटमेंट के बिना SBA से मुलाकात कर सकते हैं। SBA प्रतिनिधि को आपके प्रश्नों के उत्तर देने और आपका आवेदन भरने हेतु सहायता करने में प्रसन्नता होगी। SBA के आपदा कार्यालयों का स्थान जानने के लिए, 1-800-488-5323 पर SBA को निःशुल्क कॉल करें।

यदि मुझे पहले ही FEMA से चेक प्राप्त हो चुका है, परन्तु आपदा-संबंधी समस्त क्षतियों को ठीक करने के लिए भुगतान करने हेतु वह पर्याप्त नहीं था, तो क्या मुझे अधिक सहायता प्राप्त हो सकती है? हाँ। मरम्मत के उन खर्चों को शामिल करने के लिए SBA के आपदा ऋण उपलब्ध हैं जिनकी पहले से पूर्ण रूप से भरपाई नहीं हुई है। बहाली पूर्ण करने के लिए आवश्यक किसी अतिरिक्त राशि के लिए SBA को आवेदन दिया जाना चाहिए।

मुझे लगता है कि मैं स्वयं मरम्मत का भुगतान कर सकता/सकती हूँ, क्या मुझे आपदा ऋण के लिए आवेदन करना चाहिए? आपको संभवत: यह पता चल सकता है कि संपूर्ण मरम्मत के लिए स्वयं भुगतान करना आपके द्वारा सोची गई सीमा से अधिक हो सकता है। स्वीकृत SBA ऋण के साथ, आप यह जान सकेंगे कि संपूर्ण मरम्मत के लिए भुगतान करने हेतु पूँजी उपलब्ध है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अतिरिक्त ऋण नहीं चाहता, लेकिन आपदा-संबंधी संपूर्ण मरम्मत न करने की तुलना में किफ़ायती भुगतान सहित कम ब्याज पर ऋण बेहतर विकल्प है।

क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरम्मत हेतु ऋण लेने में मेरे समर्थ न होने पर क्या होगा? यदि SBA यह निर्धारित करती है कि आप ऋण लेने में असमर्थ हैं, तो अतिरिक्त सहायता के लिए SBA स्वत: ही आपको FEMA के पास वापिस भेज देगी। FEMA आवास-संबंधी के अलावा अन्य आवश्यकताओं के लिए धन प्रदान कर सकती है; हालाँकि, व्यवसायों के लिए यह अतिरिक्त सहायता उपलब्ध नहीं है। FEMA की अतिरिक्त सहायता का उद्देश्य आवश्यक खर्चों और, बीमा और SBA आपदा ऋण सहित, किसी अन्य प्रकार की सहायता द्वारा पूरी न की गईं गंभीर आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना है। **याद रखिए**, यदि आपको SBA आपदा ऋण हेतु आवेदन भेजा गया था, तो SBA को संपूर्ण ऋण आवेदन लौटाने और SBA द्वारा आपको ऋण लेने में असमर्थ निर्धारित करने तक, SBA आपको FEMA के पास वापस नहीं भेजेगी। FEMA किराया-संबंधी सहायता हेतु योग्य समझे जाने के लिए आपको SBA ऋण हेतु आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

3. आपके नागरिक अधिकार और आपदा सहायता

नागरिक अधिकारों में किस प्रकार का भेदभाव वर्जित है? विभिन्न प्रकार के गैर-कानूनी भेदभाव होते हैं जो सेवाओं और कार्यक्रमों तक समान पहुँच प्राप्त करने में लोगों के अवसरों को सीमित कर सकते हैं। अन्य चीज़ों के साथ-साथ, किसी FEMA-समर्थित कार्यक्रम के प्रचालन में, जाति, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु, या आर्थिक स्थिति के आधार पर, सीधे तौर पर या संविदात्मक साधनों द्वारा, कोई प्राप्तकर्ता (FEMA से संघीय आपदा निधि प्राप्त करने वाली राजकीय या स्थानीय सरकारी एजेंसी):

- कार्यक्रम-संबंधी सेवाओं, सहायता या लाभ प्रदान करने से इन्कार नहीं कर सकती;
- कोई भिन्न सेवा, सहायता या लाभ प्रदान नहीं कर सकती, या अन्य लोगों की तुलना में किसी अलग ढंग से उसे प्रदान नहीं कर सकती; या,
- सेवा, सहायता या लाभ प्राप्ति से संबंधित किसी भी विषय में व्यक्तियों को अलग नहीं रख सकती या उनके साथ अलग ढंग से व्यवहार नहीं कर सकती।

ये प्रतिबंध स्वयं FEMA पर संघीय तौर पर चलाए जाने वाले उसके कार्यक्रमों के प्रचालन पर भी लागू होते हैं।

नागरिक अधिकारों से संबंधित मेरी कोई शिकायत होने पर क्या होगा? संघीय वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रत्येक संघीय एजेंसी अपनी निधि के उपयोग में भेदभाव की शिकायतों की जाँच करने के लिए उत्तरदायी है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ या नागरिक अधिकारों और क़ानूनों द्वारा सुरक्षित अन्य लोगों के साथ आपदा सहायता प्राप्त करने में भेदभाव किया गया है, तो आप FEMA के किसी समान अधिकार अधिकारी (Equal Rights Officers - ERO) से संपर्क कर सकते हैं, जिसका कार्य FEMA के सभी आपदा-संबंधी कार्यक्रमों (Office of Equal Rights) तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। ERO आपके मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेगा। आप 1-800-621-3362 (FEMA) या TTY 1-800-462-7585 पर कॉल करके ERO तक पहुँच सकते हैं।

मुद्दा हल न होने पर, आप FEMA में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सामान्यत: अभिकथित भेदभाव के 180 दिनों के भीतर समान अधिकार कार्यालय में लिखित, हस्ताक्षरित शिकायत भेजी जानी चाहिए। शिकायत में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- आपका नाम, पता, और टेलीफोन नंबर। आपकी शिकायत हस्ताक्षरित होनी चाहिए। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की ओर से शिकायत कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, और उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध (वकील, मित्र, माता/पिता, आदि) शामिल करें।
- आपके अनुसार आपके साथ भेदभाव करने वाली एजेंसी, संस्था या विभाग का नाम और पता।

- आपके अनुसार आपके साथ भेदभाव करने का तरीका, कारण, और समय। भेदभाव के अभिकथित कृत्यों के बारे में पृष्ठभूमि की अधिक-से-अधिक जानकारी शामिल करें। आपके अनुसार आपके साथ भेदभाव करने वाले लोगों के नाम शामिल करें, यदि आप उन्हें जानते हैं।

- यदि ज्ञात हो, तो ऐसे लोगों के नाम शामिल करें, जिनसे FEMA संघीय तौर पर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रचालन में भेदभाव के बारे में आरोपों के समर्थन या स्पष्टीकरण हेतु अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क कर सके।

मेरी शिकायत पर FEMA क्या कार्रवाई करेगी? शिकायत दर्ज करने के बाद, यह निर्धारित करने के लिए FEMA द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जाँच करना उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। यदि आपकी शिकायत स्वीकार की जाती है, तो FEMA उसकी जाँच करेगी और प्राप्त होने वाले किन्हीं उल्लंघनों को हल करने का प्रयास करेगी। किसी उल्लंघन को सुधारने हेतु बातचीत असफल रहने पर, प्रवर्तन प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है।

अपने अधिकारों का दावा करने या शिकायत दर्ज करने पर मुझसे बदला लिए जाने पर क्या होगा? आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी प्राप्तकर्ता या संघीय एजेंसी के लिए आपसे या किसी अन्य व्यक्ति से बदला लेना वर्जित है क्योंकि उस व्यक्ति ने किसी गैर-कानूनी नीति या कार्यप्रणाली का विरोध किया था, या नागरिक अधिकार कानून के अधीन किसी शिकायत पर की गई कार्रवाई के विरुद्ध आरोप लगाए थे, गवाही दी थी, या उसमें हिस्सा लिया था। यदि आपको लगता है कि आपसे बदला लिया गया है, तो आपको तुरन्त FEMA के समान अधिकार कार्यालय (Office of Equal Rights) से संपर्क करना चाहिए ।

अयोग्यता कारणों का विवरण

1. प्रारंभिक निर्णय

I69B - अयोग्य - हस्ताक्षर नहीं लिए गए (90-69B): FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, फ़ाइल में कोई हस्ताक्षरित घोषणा और विमोचन फ़ार्म (90-69B) मौजूद नहीं है। FEMA द्वारा सहायता प्रदान किए जाने से पहले इस फ़ार्म की आवश्यकता होती है।

IAW - अयोग्य - समान पता: FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, आपदा के समय आवेदक FEMA से आवास सहायता के लिए आवेदन देने वाले किसी व्यक्ति के पते पर ही रह रहा था/ रही थी। FEMA पते पर केवल ही आवेदन के लिए सहायता प्रदान कर सकती है।

IDUPA - अयोग्य - दोहरा पंजीकरण: FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, फ़ाइल में इस आपदा के लिए किसी आवेदक का पहले से सहायता हेतु आवेदन मौजूद है। FEMA आवेदक से केवल ही आवेदन स्वीकार कर सकती है।

IID - अयोग्य - अपर्याप्त क्षति: FEMA की जाँच के आधार पर, यह निर्धारित किया गया था कि आपदा के कारण आवेदक का घर रहने के लिए असुरक्षित नहीं हुआ था। यह निर्धारण केवल घर में हुई क्षति पर आधारित था जो आपदा से संबंधित हैं।

IIDV - अयोग्य - पहचान सत्यापन असफल: हमारे द्वारा आपदा सहायता के लिए कोई आवेदन स्वीकार करने से पहले, FEMA के लिए आवेदन में प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करना आवश्यक है। पहचान सत्यापित करने के लिए आवेदक के नाम और सामाजिक सुरक्षा संख्या का मिलान करने में इस समय हम असमर्थ हैं।

IMI - अयोग्य - छूटी जाँच: हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, आवेदक ने FEMA निरीक्षक के साथ निर्धारित समय पर मुलाकात नहीं की थी। FEMA से आवास सहायता के लिए स्वीकार किए जाने हेतु, घर में हुई आपदा-संबंधी क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आवेदक (या 18 वर्ष से अधिक आयु वाले परिवार के किसी अन्य सदस्य) को निरीक्षक से मुलाकात करनी होगी। इस समय, आवेदक FEMA से आवास सहायता के लिए स्वीकार किए जाने हेतु योग्य नहीं है।

INCI - अयोग्य - संपर्क सहित कोई जाँच नहीं: मुलाकात निर्धारित करने के लिए FEMA निरीक्षक आवेदक से संपर्क नहीं कर पाया है। FEMA से आवास सहायता के लिए स्वीकार किए जाने हेतु, घर में हुई आपदा-संबंधी क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आवेदक (या 18 वर्ष से अधिक आयु वाले परिवार के किसी अन्य सदस्य) को किसी निरीक्षक से मुलाकात करनी होगी। इस समय, आवेदक FEMA से सहायता के लिए स्वीकार किए जाने हेतु योग्य नहीं है।

INFI - अयोग्य - बाढ़-संबंधी बीमा: हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, आपदा के समय आवेदक जिस घर में रह रहा था/रही थी वह बाढ़-संबंधी बीमा से सुरक्षित है। इस समय, आवेदक बाढ़-संबंधी बीमा के अधीन आने वाली क्षतियों के लिए सहायता हेतु योग्य नहीं है।

INI - अयोग्य - बीमा (जाँच सहित): हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, आपदा के समय आवेदक जिस घर में रह रहा था/रही थी वह बाढ़-संबंधी बीमा से सुरक्षित है। FEMA जाँच में पाए जाने वाली क्षतियों की पूर्ति आवेदक के बीमे द्वारा होनी चाहिए। FEMA, बीमा सहित, ऐसी कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकती जो किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध हो; इसलिए, इस समय आवेदक FEMA से घर की मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता के लिए योग्य नहीं है। आवेदक को जल्दी-से-जल्दी अपने बीमा एजेंट से दावा करना चाहिए क्योंकि FEMA बीमा के अधीन असुरक्षित क्षतियों के लिए सहायता कर सकती है।

INO - अपील - अयोग्य - बीमा द्वारा निर्वाह खर्च की पूर्ति की जाएगी: आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, उसके घर का बीमा घर की मरम्मत के दौरान रहने के लिए किराए पर कोई अस्थायी जगह लेने हेतु रकम प्रदान करता है। हमें ऐसे कोई दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए हैं जिनसे यह पता चलता हो कि आवेदक ने रहने के लिए किराए पर कोई अस्थायी जगह लेने में समस्त उपलब्ध धनराशि का उपयोग कर लिया है या यह कि आवेदक द्वारा दावा करने के बाद बीमे के भुगतान में 30-दिन से अधिक विलम्ब हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक की अपील खारिज की जाती है और वह FEMA से किराया-संबंधी सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य नहीं है।

INO - अयोग्य - कानूनी तौर पर निवासी नहीं है: FEMA द्वारा किसी आवेदक पर किसी सहायता, जिसके लिए वह आवेदक योग्य हो, के लिए ध्यान देने से पहले हस्ताक्षरित घोषणा और विमोचन फ़ार्म (90-69B) की आवश्यकता होती है। हम◌ारे रिकॉर्ड के अनुसार, आवेदक ने यह इंगित नहीं किया है कि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य U.S. नागरिक, गैर-नागरिक देशवासी, या योग्य विदेशी है। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक FEMA से सहायता के लिए योग्य नहीं है।

INO - अयोग्य - स्वामित्व प्रमाणित नहीं: हमारे रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि आवेदक ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आपदा के समय वह घर का मालिक था / की मालकिन थी। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक FEMA से घर की मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता के लिए योग्य नहीं है।

INONV - अयोग्य - कब्ज़ा प्रमाणित नहीं: FEMA से सहायता के लिए आवेदन करने पर, आवेदक ने FEMA को सूचित किया था कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ घर वह स्थान है जहाँ वह साल में अधिकतर समय के लिए रहता/रहती है। FEMA जाँच के समय, आवेदक वे दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सका/सकी जो यह प्रदर्शित करते हों कि हमारे द्वारा जिस घर की जाँच की गई वह उसका निवास-स्थान है। जब तक हम यह सत्यापित न कर लें कि आवेदक प्रदान किए गए पते पर रहता था /रहती थी, आवेदक FEMA से आवास सहायता के लिए योग्य नहीं है।

INR - अयोग्य - स्थानांतरण नहीं: FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, आवेदक ने FEMA निरीक्षक को बताया था कि मरम्मत के दौरान वह अपने क्षतिग्रस्त घर से स्थानांतरण नहीं करेगा/करेगी। चूँकि आवेदक का इरादा स्थानांतरण करने का नहीं है, इस समय वह FEMA से किराया-संबंधी सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य नहीं है।

INS - अयोग्य - बीमाकृत (किसी जाँच के बिना): हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, आपदा के समय आवेदक जिस घर में रह रहा था/ रही थी वह बाढ़-संबंधी बीमा से सुरक्षित है। FEMA से सहायता के लिए आवेदन करते समय सूचित की गई क्षति की पूर्ति आवेदक के बीमे द्वारा होनी चाहिए। FEMA, बीमा सहित, ऐसी कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकती जो किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध हो; इसलिए, इस समय आवेदक FEMA से घर की मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता के लिए योग्य नहीं है। आवेदक को जल्दी-से-जल्दी अपने बीमा एजेंट से दावा करना चाहिए क्योंकि FEMA बीमा के अधीन असुरक्षित क्षतियों के लिए सहायता कर सकती है।

IOVR - अयोग्य - कार्यक्रम के अधिकतम से अधिक: FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, FEMA से वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि पहले ही आवास और/या आपदा-संबंधी अन्य आवश्यकताओं के लिए आवेदक को प्रदान की जा चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक FEMA से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है।

ISC - अयोग्य – SFHA में स्वीकृत समुदाय: FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था और ऐसे समुदाय में बाढ़-प्रभावित क्षेत्र में स्थित है जो वर्तमान में राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम में शामिल नहीं है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त घर विशेष बाढ़ जोखिम क्षेत्र में स्थित होने और आवेदक का समुदाय राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम में शामिल न होने के कारण, इस समय FEMA को मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

NCOMP - बाढ़-संबंधी बीमा आवश्यकता के साथ गैर-अनुवर्ती: FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, आवेदक के लिए संपत्ति पर बाढ़-संबंधी बीमा सुरक्षा जारी रखना आवश्यक है। चूँकि घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था और आवेदक के पास राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम की कोई सक्रिय बाढ़-संबंधी बीमा पॉलिसी नहीं है, अत: इस समय FEMA मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता प्रदान नहीं कर सकती। हालाँकि, निरीक्षक द्वारा यह निर्धारित करने पर कि घर असुरक्षित है और मरम्मत के दौरान आवेदक को स्थानांतरण की आवश्यकता है, FEMA किराया-संबंधी सहायता प्रदान कर सकती है।

WVO - निवर्तन - आवेदक द्वारा स्वैच्छिक निवर्तन: FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, आवेदक ने इंगित किया था कि उसे FEMA से सहायता नहीं चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, आपदा सहायता के लिए FEMA आवेदन वापिस ले लिया गया था।

2. अपीलों पर निर्णय

A-I69B - अपील - हस्ताक्षर नहीं लिए गए (90-69B): FEMA के रिकॉर्ड के अनुसार, फ़ाइल में कोई हस्ताक्षरित घोषणा और विमोचन फ़ार्म (90-69B) मौजूद नहीं है। FEMA केवल 90-69B फ़ार्म हस्ताक्षरित, दिनांकित और फ़ाइल में दर्ज होने पर ही सहायता प्रदान कर सकती है।

A-IAW - अपील - अयोग्य - समान पता: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि हमारे रिकॉर्ड ने दर्शाया था कि आपदा के समय आवेदक FEMA से आवास सहायता के लिए आवेदन देने वाले किसी व्यक्ति के पते पर ही रह रहा था। FEMA ने अपील और प्रदत्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों की समीक्षा की थी और फिर भी हम यह सत्यापित करने में असमर्थ रहे थे कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के पते से अलग किसी पते पर आवेदक रह रहा था। इसके परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार नहीं की जाती और आवेदक FEMA से आवास सहायता के लिए योग्य नहीं है।

A-IID - अपील - अयोग्य - अपर्याप्त क्षति - मालिक: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि आवेदक FEMA से आवास सहायता के लिए योग्य नहीं था/थी क्योंकि FEMA द्वारा घर की जाँच करने पर यह निर्धारित किया गया था कि आपदा के कारण आवेदक का घर रहने के लिए असुरक्षित नहीं हुआ था। यह निर्धारण केवल घर में हुई क्षति पर आधारित था जो आपदा से संबंधित है। हमने बताया था कि यद्यपि आपदा के कारण कुछ क्षति हो सकती है, आवेदक या उसके मालिक मकान से ये मरम्मत का कार्य करवाने की अपेक्षा करना उचित था। हमने उन दस्तावेज़ों का विवरण दिया था जो यह दर्शाने के लिए जमा किए जा सकते हैं कि घर आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ सुरक्षित या रहने योग्य नहीं हैं। हमने अपील की समीक्षा की है और यह निर्धारित किया है कि हमारा आरंभिक निर्णय सही था। घर में आपदा के कारण ऐसी कोई क्षति नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप आपदा के बाद आवेदक के रहने के लिए वह असुरक्षित हो गया था।

A-IIDV - अपील - अयोग्य - पहचान सत्यापन असफल: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि हमारे द्वारा आपदा सहायता के लिए आवेदन स्वीकार करने से पहले आवेदक की पहचान सत्यापित करने के लिए हमें अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता थी। FEMA के लिए आवेदन में प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करना आवश्यक है और पहचान सत्यापित करने के लिए आवेदक के नाम और सामाजिक सुरक्षा संख्या का मिलान करने में हम असमर्थ रहे थे। हमने आवश्यक सत्यापन प्रदान करने वाले दस्तावेज़ों का विवरण दिया था। हमने आवेदक की अपील और प्रदत्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों की समीक्षा की है और फिर भी हम पहचान सत्यापित करने में असमर्थ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान सत्यापित किए बिना FEMA उसे कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकती। इसके परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार नहीं जाती और इस समय हम इस आवेदन पर आगे कार्रवाई करने में असमर्थ हैं।

A-IMI - अपील - अयोग्य - छूटी जाँच: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि FEMA से आवास सहायता के लिए स्वीकार किए जाने हेतु, घर में हुई आपदा-संबंधी क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आवेदक (या 18 वर्ष से अधिक आयु वाले परिवार के किसी अन्य सदस्य) को निरीक्षक से मुलाकात करनी होगी और यह कि हमारे रिकॉर्ड ने दर्शाया था कि आवेदक ने FEMA निरीक्षक के साथ निर्धारित समय पर मुलाकात नहीं की थी। आवेदक ने FEMA हेल्पलाइन से सम्पर्क किया था और घर का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य निरीक्षक नियुक्त किया गया था। एक बार फिर आवेदक ने निर्धारित समय पर मुलाकात नहीं की। इसके परिणामस्वरूप, अब हम आवेदक की सहायता नहीं कर सकेंगे।

A-INCI - अपील - अयोग्य - संपर्क सहित कोई जाँच नहीं: पिछले पत्र में, FEMA ने विस्तार से बताया था कि FEMA से आवास सहायता के लिए स्वीकार किए जाने हेतु, घर में हुई आपदा-संबंधी क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आवेदक (या 18 वर्ष से अधिक आयु वाले परिवार के किसी अन्य सदस्य) को निरीक्षक से मुलाकात करनी होगी और यह कि मुलाकात निर्धारित करने के लिए FEMA निरीक्षक आवेदक से संपर्क नहीं कर पाया था। आवेदक ने FEMA हेल्पलाइन से सम्पर्क किया था और घर का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य निरीक्षक नियुक्त किया गया था। बार-बार प्रयास करने के बाद भी, जाँच निर्धारित करने के लिए वह निरीक्षक आवेदक से संपर्क करने में असमर्थ रहा था। इसके परिणामस्वरूप, अब हम आवेदक की सहायता नहीं कर सकेंगे।

A-INFI - अपील - अयोग्य - बाढ़-संबंधी बीमा भुगतान या अस्वीकृति पत्र लापता: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि आवेदक के पास बाढ़-संबंधी बीमा सुरक्षा होने के कारण, वह FEMA से घर की मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता के लिए योग्य नहीं था। हमने उन दस्तावेज़ों का विवरण दिया था जो हमारे निर्णय के विरुद्ध अपील में भेजे जा सकते हैं। हमने आवेदक की अपील और प्रदत्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों की समीक्षा की है और फिर भी हम आवेदक के बीमा भुगतान की राशि सत्यापित करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार नहीं जाती और आवेदक FEMA से आवास सहायता के लिए योग्य नहीं है।

A-INI, A-INS - अपील - अयोग्य - बाढ़-संबंधी बीमा भुगतान या अस्वीकृति पत्र लापता: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि आवेदक के पास अपने घर के लिए बाढ़-संबंधी बीमा सुरक्षा होने के कारण, वह FEMA से घर की मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता के लिए योग्य नहीं था। उस पत्र में उन दस्तावेज़ों का विवरण भी दिया गया था जिन्हें आवेदक हमारे निर्णय के विरुद्ध अपील में भेज सकता है। हमने आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ों की समीक्षा की है और हम अपील पर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें बीमा भुगतान से संबंधित विस्तृत दस्तावेज़ या बीमा अस्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यदि इस बारे में आवेदक के कोई प्रश्न हैं कि अभी किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है, तो उसे FEMA हेल्पलाइन से सम्पर्क करना चाहिए।

A-INO - अपील - अयोग्य - 60 दिन की समय-सीमा के बाद: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि FEMA के किसी भी निर्णय के लिए अपील हमारे निर्णय पत्र के 60 दिन के भीतर जमा की जानी चाहिए। आवेदक ने 60 दिन की समय-सीमा तक कोई अपील जमा नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप, यदि निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति के कारण आवेदक अपील पूरी न कर सका हो, तो अपील स्वीकार नहीं की जाएगी: 1). अस्पताल में भरती होना, बीमारी, विकलांगता, या परिवार के किसी निकटतम सदस्य की मृत्यु; 2). व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्रा जिसके कारण अपील की संपूर्ण अवधि के दौरान आवेदक क्षेत्र से बाहर रहा/रही हो। यदि आवेदक चाहता/चाहती है कि FEMA द्वारा किसी अपील पर ध्यान दिया जाए, तो आवेदक स्पष्टीकरण पत्र और सभी संबंधित दस्तावेज़ भेज सकता है जो यह दर्शाते हों कि अपील पूरी करने में आवेदक असमर्थ क्यों रहा था।

A-INO - अपील - अयोग्य - बीमा भुगतान FEMA हेतु योग्य क्षति से अधिक है: निजी बीमा से भिन्न, FEMA आवास मरम्मत कार्यक्रम केवल आवश्यक मरम्मत तक ही सीमित है। इसके परिणामस्वरूप, बीमा भुगतान मरम्मत हेतु सहायता के रूप में FEMA द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि से अधिक होना सामान्य है। क्योंकि FEMA बीमा द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता को दोहरा नहीं सकती, अत: आवेदक की अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

A-INO - अपील - अयोग्य - कानूनी तौर पर निवासी नहीं है: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि FEMA किसी आवेदक द्वारा घोषणा और विमोचन फ़ार्म (90-69B) पर यह इंगित न करने तक उस पर किसी सहायता, जिसे प्राप्त करने हेतु वह आवेदक योग्य हो, के लिए ध्यान नहीं दे सकी थी कि उसके परिवार का कोई सदस्य U.S. नागरिक, गैर-नागरिक देशवासी, या योग्य विदेशी है। हमने यह सुझाव भी दिया था कि आवेदक को अन्य फ़ार्म भरकर जमा करना चाहिए। हमने आवेदक की अपील और प्रदत्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों की समीक्षा की है और फिर भी यह निर्धारित करने में हम असमर्थ हैं कि आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य U.S. नागरिक, गैर-नागरिक देशवासी, या योग्य विदेशी है। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक की अपील खारिज की जाती है और उसे FEMA से सहायता हेतु योग्य नहीं समझा जाएगा।

A-INO - अपील - अयोग्य - स्वामित्व प्रमाणित नहीं: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि आवेदक ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आपदा के समय वह घर का मालिक था। हमने आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले उन दस्तावेज़ों का विवरण दिया था जो क्षतिग्रस्त घर का स्वामित्व दर्शाते हों। हमने आवेदक की अपील और प्रदत्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों की समीक्षा की है; हालाँकि, फिर भी यह सत्यापित करने में हम असमर्थ हैं कि आवेदक घर का मालिक था। इसके परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है और आवेदक FEMA से घर की मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता के लिए योग्य नहीं है।

A-INO - अपील - अयोग्य - अत्यधिक स्वीकृत किराया दर की प्रतिपूर्ति करने में असमर्थ: पहले भी, हमने विस्तार से बताया है कि FEMA मासिक किराया सहायता आपदा के समय आवेदक के घर में उपयोग किए जा रहे शयनकक्षों की संख्या पर आधारित होती है और FEMA और U.S. आवास और शहरी विकास विभाग (U.S. Department of Housing and Urban Development - HUD) द्वारा निर्धारित किराया दरों तक सीमित है। हमने आवेदक की अपील और प्रदत्त अतिरिक्त जानकारी की समीक्षा की है। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे द्वारा आवेदक को भुगतान की गई मासिक दर उचित राशि थी। इसके परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है और हम आपको उच्च मासिक दर का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

A-INONV - अपील - अयोग्य - कब्जा प्रमाणित नहीं: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि हम यह सत्यापित नहीं कर सके थे कि आवेदक द्वारा आपदा में क्षतिग्रस्त सूचित किया गया घर वह स्थान था जहाँ वह रहता था। हमने आवेदक की अपील और प्रदत्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों की समीक्षा की है और फिर भी यह निर्धारित करने हम में असमर्थ हैं कि आवेदक

द्वारा सूचित किया गया घर वह स्थान था जहाँ वह रहता था। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक की अपील स्वीकार नहीं की जाती और वह FEMA से आवास सहायता के लिए योग्य नहीं है।

A-IOVR - अपील - अयोग्य - कार्यक्रम के अधिकतम से अधिक: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि आवेदक FEMA से अधिक वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं था/थी क्योंकि FEMA से वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि पहले ही आवास और/या आपदा-संबंधी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जा चुकी थी। हमने अपील और प्रदत्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों की समीक्षा की है। हमारे रिकॉर्ड अब भी दर्शाते हैं कि आवेदक FEMA से वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा तक पहुँच चुका है। अत:, हम आवेदक को FEMA से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं।

A-ISC - अपील - अयोग्य - SFHA में स्वीकृत समुदाय: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि आवेदक FEMA से घर की मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता के लिए योग्य नहीं था क्योंकि घर ऐसे समुदाय में बाढ़-प्रभावित क्षेत्र में स्थित है जो वर्तमान में राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम (NFIP) में शामिल नहीं है। उस पत्र में उन दस्तावेज़ों का विवरण भी दिया गया था जिन्हें आवेदक हमारे निर्णय के विरुद्ध अपील में भेज सकता है। हमने अपील और प्रदत्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों की समीक्षा की है। हमारे रिकॉर्ड अब भी दर्शाते हैं कि आवेदक का घर बाढ़-प्रभावित क्षेत्र में स्थित है और यह कि घर में बाढ़ के कारण क्षति हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है और आवेदक FEMA से आवास सहायता के लिए योग्य नहीं है।

A-NCOMP - अपील - बाढ़-संबंधी बीमा आवश्यकता के साथ गैर-अनुवर्ती: पिछले पत्र में, हमने विस्तार से बताया था कि आवेदक FEMA से घर की मरम्मत या प्रतिस्थापन सहायता के लिए योग्य नहीं था क्योंकि उसने संपत्ति पर आवश्यक बाढ़-संबंधी बीमा सुरक्षा जारी नहीं रखी थी। चूँकि हमें यह निर्धारित करने के लिए दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए हैं कि घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था और/या हमें यह दर्शाने वाले के लिए दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए हैं कि आवेदक के पास संपत्ति के लिए कोई सक्रिय बाढ़-संबंधी बीमा पॉलिसी नहीं है, अत: अपील खारिज की जाती है।

नमूना - FEMA फ़ार्म 90-69B
घोषणा और विमोचन

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्यूरिटी फ़ेडरल इमर्जेन्सी मैनेजमेंट ऐजेन्सी (संघीय आपातकालिन प्रबंधन अधिकरण) **घोषणा और विमुक्ति**	**O.M.B.नं. 1660-0002** **समाप्ति मई 31, 2010**

घोषणा और विमुक्ति

FEMA आपदा सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए परिवार का सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय या योग्य परदेसी होना चाहिए। **कृपया फ़ॉर्म को ध्यान से पढ़ें, पन्नक पर हस्ताक्षर करें और इसे इंस्पेक्टर को वापस करें, और उन्हें मौजूदा स्वरूप का फ़ोटो पहचान दिखाएँ।** यदि आपका कोई प्रश्न हैं, तो कृपया निःसंकोच किसी वकील या अन्य आप्रवास विशेषज्ञ के साथ परामर्श करें।

मैं एतदद्वारा, झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत घोषित करता हूँ कि (एक पर टिक करें) :

☐ मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या गैर-नागरिक राष्ट्रीय हूँ

☐ मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का योग्य परदेसी हूँ।

☐ अवयस्क बच्चे का पूरा नाम और उच्च प्रिंट करें: मैं अवयस्क बच्चे का अभिभावक या माता पिता हूँ, जो मेरे साथ रहता है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय या योग्य परदेसी है। अवयस्क बच्चे का पूरा नाम और उच्च प्रिंट करें: _____

अपने हस्ताक्षर करके मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि:

* मेरे परिवार के लिए केवल एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
* FEMA आपदा सहायता के लिए अपने आवेदन के संबंध में मेरे द्वारा उपलब्ध कराई सभी जानकारी मेरे सबसे अच्छे ज्ञान के अनुसार सत्य है।
* अगर मैं एक ही हानि के लिए बीमा या अन्य से धन प्राप्त करता हूँ या जिस प्रयोजन के लिए FEMA आपदा सहायता प्राप्त हुई उसके लिए इस्तेमाल नहीं करता तो मैं FEMA या राज्य से प्राप्त आपदा सहायता धन को वापस कर दूँगा/दूँगी।

मैं समझता/समझती हूँ कि अगर मैं जानबूझकर गलत बयान या आपदा सहायता प्राप्त करने के प्रयास में किसी भी जानकारी को छिपाता/छिपाती हूँ, तो यह संघीय और राज्य कानूनों का उल्लंघन है, जिस पर $ 250,000 का दंड, कारावास, या दोनों सहित गंभीर आपराधिक और नागरिक दंड लागू है (18 U.S. C. §§ 287, 1001 और 3571)

मैं समझता/समझती हूँ कि FEMA आपदा सहायता के लिए मेरे आवेदन की जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्यूरिटी (DHS) में साझा करने जिसमें आव्रजन और कस्टम प्रवर्तन ब्यूरो शामिल है, परंतु उस तक सीमित नहीं है।

मैं FEMA को आपदा सहायता के लिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए मेरे द्वारा अपनी संपत्ति/निवास, आय, रोजगार और आश्रितों के बारे में दी गई सभी जानकारी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ ; और

मैं सभी अभिरक्षकों या मेरे बीमा, नियोक्ता, किसी भी सार्वजनिक या निजी एजेंसी, बैंक, वित्तीय या क्रेडिट डेटा सेवा रिकॉर्ड को FEMA और/या राज्य को अनुरोध करने पर सूचना जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

नाम *(प्रिंट)*	हस्ताक्षर	जन्म-तिथि	हस्ताक्षर तिथि
निरीक्षक आईडी नं.	FEMA आवेदन नं.	आपदा नं.	
क्षतिग्रस्त संपत्ति का पता	शहर	राज्य	जिप कोड

गोपनीयता अधिनियम बयान

रॉबर्ट टी. स्टाफ़ोर्ड आपदा राहत और आपातकालीन सहायता अधिनियम, 42 USC §§ 5121-5206, कार्यकारी आदेश 12148, संशोधनानुसार, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कार्य अवसर सुलह अधिनियम 1996 के, 8 USC §§ 1601 et seq. के शीर्षक IV, के तहत इस जानकारी को संग्रह करने के लिए अधिकृत है। इस जानकारी का प्राथमिक उपयोग FEMA आपदा सहायता प्राप्त करने के लिए आपकी पात्रता निर्धारित करना है। इस जानकारी को आपदा सहायता प्रदान करने वाली संघीय और राज्य एजेंसियों, और साथ ही स्थानीय सरकारों या स्वैच्छिक एजेंसियों जिनसे आप सहायता की माँग कर रहे हैं को लिखित अनुरोध पर प्रकट किया जा सकता हैं, ताकि सहायता प्रयास या लाभ दोहरे न हो; FEMA के लिए पात्रता निश्चित करने हेतु आवश्यक एजेंसियों संगठनों और संस्थानों को जानकारी प्राप्त करने के लिए; विपदा शमन योजना और प्रवर्तन को बढ़ावा देने हेतु संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारी एजेंसियों को; कानून का कोई उल्लंघन या संभावित उल्लंघन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों या पेशेवर संगठनों को; जब हम जानकारी किसी एजेंसी को अनुदान या अन्य लाभ के लिए निर्णय हेतु संघीय राज्य या स्थानीय एजेंसी को या कुछ परिस्थितियों में ऐसे ही प्रयोजन के लिए प्रासंगिक ऐसी जानकारी को जारी करने के विषय में संघीय एजेंसी के हमें अनुरोध करने पर; किसी व्यक्ति के अनुरोध पर जाँच हेतु बनाए गए कांग्रेस कार्यालय को; OMB परिपत्र A-19 के तहत निजी राहत विधान के संबंध में प्रबंधन और बजट कार्यालय (OMB) को; और 44 USC §§ 2904 और 2906 के तहत रिकॉर्ड में प्रबंधन के निरीक्षण के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय अभिलेखागार और रिकॉर्ड प्रशासन को जानकारी प्रकट की जा सकती है। ऋण संग्रह सुधार अधिनियम 1996, 31 U.S.C. §§ 3325 (d) और 7701 (c) (1) के अनुसार पंजीकरण के दौरान आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर मांगा जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा नंबर और साथ ही अन्य जानकारी प्रदान करना स्वैच्छिक है, परंतु ऐसा करने में विफल होने पर आपदा सहायता के प्रावधान देरी या रुकावट हो सकती है।

कार्यवी बोझ प्रकटीकरण नोटिस

इस फ़ॉर्म का सार्वजनिक रिपोर्टिंग बोझ प्रति प्रतिक्रिया औसतन 2 मिनट अनुमानित है। बोझ अनुमान में शामिल है निर्देशों की समीक्षा के लिए समय है, डेटा एकत्र करना, और फ़ार्म पूरा करना और जमा करना। जब तक इस फ़ॉर्म के ऊपरी दाएँ कोने में वैध OMB नियंत्रण संख्या प्रदर्शित न हो तब तक आपको इस जानकारी के संग्रह को पूरा करने की आवश्यकता नहीं हैं। इस बोझ सटीकता और अनुमान पर टिप्पणी करने के लिए तथा बोझ को कम करने के बारे में कोई भी सुझाव वहाँ भेजें: सूचना एकत्रीकरण प्रबंधन, स्वदेश सुरक्षा विभाग यू.एस। संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी, 500 सी स्ट्रीट एस डब्ल्यू ,वाशिंगटन,डीसी 20472, दस्तावेज कार्य घटाने की परियोजना (1660-0002)।

टिप्पणी: इस पते पर अपना भरा हुआ फ़ॉर्म न भेजें।

FEMA फ़ॉर्म 90-69B, मई 07 **सभी संस्करणों का स्थान लेता है**

Form 90-69B – Declaration and Release - Hindi

यदि आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति क्षति के लिए झूठे दावे कर रहा है, तो FEMA की धोखाधड़ी-संबंधी हेल्पलाइन पर कॉल करें:

1-800-323-8603

यह सुनिश्चित करने में FEMA की सहायता करें कि आपदा सहायता केवल योग्य लोगों को ही प्राप्त हो।

झूठे दावे करना संघीय कानून का उल्लंघन है।

FEMA सहायता योग्यता की शर्त पूरी करने वाले किसी प्रभावित व्यक्ति या परिवार के लिए उपलब्ध है। जाति, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु, या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई संघीय, राजकीय, या स्थानीय संस्था या अधिकारी (या उसका कोई एजेंट) किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता।